

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए मात्र) का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1533, दिनांक-02.12.2026 क्रम संख्या-43 में वर्णित खाता संख्या में आश्रित/लाभार्थी के बैंक खाता में त्रुटि रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-1533, दिनांक-02.12.2026 क्रम संख्या-43 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के पत्रांक-129, दिनांक-31.01.2026 एवं लेखापाल के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.स.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० कमलेश यादव, 23, श्री मिलाराम राय, पिछड़ा वर्ग	दुर्गा देवी (माता)	129 31.01.2026 1161, 21.08.2025	ग्राम+पो०-नया टोला, था०+प्र०-बोखड़ा जिला-सीतामढ़ी, 9142407608	2296001 7001744 23	PNB, PUNBO 229600	रू 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु कुरकुरे फैक्ट्री में हेल्पर कार्य

कुल:- रू० 2,00,000/-  
(दो लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-1533, दिनांक-02.12.2026 क्रम संख्या-43 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-  
(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(राजेश भारती),  
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-70/2025(अंश)-599

पटना, दिनांक :- ०५/०५/२०२६

**प्रतिलिपि :-** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

05/05/2026  
Signed by Rohit Kumar  
Date: 05-05-2026 16:38:03  
(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti  
Signed by Rajesh Bharti  
Date: 07-05-2026 17:45:30  
कार्यकारी निदेशक